17/2017 देवाराम प/ पुराराम वगैरा.

11.5.17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार 2017 मे अटल सेवा केन्द्र कोशलू मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी स.2 से 7 व 9 एवं 10 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थी बावजुद सुचना अनुपस्थित। हस्तगत प्रकरण मे विप्रार्थी वकील जबाव पेश नही करना चाहते है।उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया और प्रकरण का अवलोकन किया गया,जिसमे पाया कि विवादित भूमि के प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सहखातेदारान है। और संयुक्त खातेदारान को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है।क्योंकि बिना बंटवाड़ा के भूमि के प्रत्येक टुकडे पर प्रत्येक सहखातेदारान का हक हिस्सा निहित होता है। इस कारण हस्तगत प्रकरण मे जारी स्थगन आदेश को आगे जारी रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। एवं हस्तगत आवेदन मे ऐसा कोई साक्ष्य सबुत नही है,जिससे प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रखा जा सके। और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है,जिससे प्रतीत होता है,कि प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति होती हो।

लिहाजा हस्तगत आवेदन मे जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.02.17 को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण का आवेदन पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

11/5/17

सहायक कलक्टर

SDC सिणधरी

Scanned by CamScanner